सूचना का अधिकार 2005 की धारा 19(1) और 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपील

सेवा में

दिनांक :- 16.09. 2021

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक
पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
उत्तरी क्षेत्र-3

विषय: सूचना अधिकार के तहत आवेदन संख्या – PGCIL/R/E/21/00342, (RTI) Act-2005 की धारा 19(1) और 19(2) के अंतर्गत प्रथम अपील |

पावर ग्रिड के जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी से मैं सहमत नहीं हूँ। जिसके कारण निम्न हैं -

क्रम संख्या	मांगी गई जानकारी	दी गई जानकारी	कारण सहित जानकारी से सहमत नहीं हैं
1.	पावरग्रिड विभाग की उस पालिसी की छायाप्रति संलग्न करे ? जिसके आधार पर पावर ग्रिड के किसी सब स्टेशन के प्रत्येक विभाग में कितने अधिकारी व् कितने कनिष्ठ अभियंता व् कितने तकनीशियन तैनात किया जाना सुनिश्चित किया जाता हैं ?	पवार ग्रिड मे कर्मचारियों की तैनाती कार्य की आवश्यकता को देखते हुए ,कार्मिक की उपयुक्तता,कार्मिकों की संख्या एवं अन्य कारणों पर निर्भर करता हैं।	किसी भी संस्थान/कंपनी इत्यादि मे किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तथा उन्हे कुशल पूरक करने के लिए किस किस ग्रैड के कितने कर्मचारी या अधिकारी चाहिए यह सुनिश्चित होता हैं। उसी के आधार पर कोई संस्थान /कंपनी/संगठन अपने यंहा कर्मचारियों की नियुक्ति और अपने कार्य स्थलों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करता हैं। अत: सरकारी तंत्र /सरकारी कंपनी मे इस प्रकार का डेटा होना निश्चित होता हैं। किन्तु पावर ग्रिड के जनसूचना अधिकारी ने इस प्रकार की सूचना को छिपाने का प्रयास किया हैं ।
2.	उक्त पालिसी के अनुसार पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र-3 के किन-किन सब स्टेशनओ के किन-किन विभाग में अधिकारियो व् कर्मचरियों की तैनाती की कमी हैं ? कृपया पूर्ण विवरण दे ?	मांगी गई जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित हैं एवं किसी लोक-क्रियाकलाप या जनहित से सम्बन्धित नहीं रखता। अत: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)J के अंतर्गत साझा नहीं की जा सकती ।	प्रश्न2,3, व 4 पावर ग्रिड के उन तमाम कर्मचारियों के हित मे जिनको उदेश्यपूर्ण तरीके से , कार्य की आवश्यकता को बताते हुए 1 व 2 वर्ष मे बार बार ट्रांसफर किया जाता हैं। और उनके बच्चे की पढ़ाई और परिवार की देखरेख मे बारम्बार बाधा डाली जाती हैं। और दूसरी और प्रबन्धन के प्रिय कर्मचारियों को एक ही स्थान पर 10 वर्षों से अधिक समय होने पर भी एक बार भी ट्रांसफर नहीं किया जाता हैं। एक ही विभाग मे कर्मचारियों के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न विभाग मे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भी हैं। किन्तु पावर ग्रिड के जनसूचना अधिकारी ने इस प्रकार की सूचना को छिपाने का प्रयास किया हैं ।
3.	उक्त पालिसी के अनुसार पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र-3 के किन-किन सब स्टेशनओ के किन-किन विभाग में अधिकारियो व् कर्मचरियों की तैनाती उक्त पालिसी से अधिक हैं ? कृपया पूर्ण विवरण दे ?		
4.	दिनांक 06.08.2021 तक पावरग्रिड उत्तरी क्षेत्र- 3 के किन- किन सब स्टेशनओ ने अपने यंहा मैंन पावर कम होने के कारण अपने सब स्टेशन में कनिष्ठ अभियंता व् तकनीशियन की तैनाती करने के प्रस्ताव e-ऑफिस में प्रेषित किये हैं ? कृपया पूर्ण विवरण दे ?		

भवदीय

16/09/21

अशोक कुमार

कर्मचारी संख्या-11233

मोबाईल संख्या-8299500936